

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT
CATERING TECHNOLOGY & APPLIED NUTRITION
P-16, TARATALA ROAD
KOLKATA – 700 088

Ref. No: CT/AD-4(1)/20/ 137

Dated June 16, 2020


OFFICE-ORDER

As per guidelines of Hon'ble Supreme Court, an Internal Complaints Committee [ICC] has been constituted to play an important role in prevention, prohibition and redressal of sexual harassment at the workplace. The ICC has a responsibility to establish an effective internal complaints procedure, where –

- Assurance that no victimisation will result from making a complaint
- Procedure is well documented, available and in accessible formats;
- Members who manage complaints are well trained
- Assistance is provided in the form of language interpreters as needed for parties to a complaint
- Ensuring the process is confidential, independent and based on principles of natural justice
- Ensuring the process has clear timelines
- All conflicts of interest are managed appropriately

The Internal Complaint Committee [ICC] constituted with following members to be effective till December 2021.

- i) Mrs. Rita Mitra, Senior Lecturer-cum-Senior Instructor – Presiding Office
- ii) Ms. Srabonee Mitra, Office Superintendent
- iii) Mr. Manoranjan Kumar, Assistant Lecturer-cum-Assistant Instructor
- iv) Mrs. Anjali Sikder, Officer (Administration), All Bengal Women's Union – Member from an NGO


(Nisheeth Srivastava)
Principal

Cc: All above mentioned members
Mr. Mainak Sarkar, Lecturer – for upload in Institute's website
File: CT/AD-21(2)/

होटल प्रबंधन संस्थान

खानपान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान

पी-16, तारातला रोड, कोलकाता – 700 088

संदर्भ सं. : सीटी/एडी-4(1)/20/ 137

दिनांक: 16 जून, 2020


कार्यालय आदेश

सम्मानित उच्चतम न्यायालय की निर्देशिका के अनुसार, कार्यक्षेत्र में यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध एवं निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक नवीन आंतरिक शिकायत समिति [आई.सी.सी.] का गठन किया गया है। इस समिति के पास प्रभावी आन्तरिक शिकायत प्रक्रिया की स्थापना करने का उत्तरदायित्व है, जहां

- शिकायत दर्ज करने पर किसी प्रकार का अत्याचार ना किये जाने का आश्वासन है
- प्रक्रिया भली प्रकार से लिखित, उपलब्ध एवं प्राप्य प्रारूप में है
- शिकायत का संचालन करने वाले सदस्य प्रशिक्षित हैं
- शिकायत दर्ज करने हेतु शिकायतकर्ता को भाषिक व्याख्याता की सहायता प्रदान की जाती है
- प्रक्रिया को गोपनीय, स्वाधीन एवं स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है
- इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट समयरेखा है
- संबन्धित सभी आंतरिक विवादों का संचालन उचित रूप से किया जाता है।

निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठित आंतरिक शिकायत समिति दिसंबर 2021 तक प्रभावशील रहेगी:

- i. श्रीमती रीता मित्रा, वरिष्ठ व्याख्याता सह वरिष्ठ प्रशिक्षक
- ii. सुश्री श्रावनी मित्रा, कार्यालय अधीक्षिका
- iii. श्रीमान मनोरंजन कुमार, सहायक व्याख्याता सह सहायक प्रशिक्षक
- iv. श्रीमती अंजली सिकंदर, कार्यालय (प्रशासन), सर्व बंगाल महिला संगठन (ऑल बंगाल विमेन्स यूनियन)- गैर सरकारी संस्थान की सदस्या



निशीथ श्रीवास्तव

प्रधानाचार्य

प्रतिलिपि: उपरोक्त वर्णित संकाय सदस्य

श्रीमान मैनाक सरकार, व्याख्याता- संस्थान के वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

मिसिल : सीटी/एडी-21(2)/